न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 12/2024

सरजीतसिंह पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी हाल निरवाल तहसील रावतसर।

- प्रार्थी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी हाल निरवाल तहसील रावतसर।
2. सुरेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी हाल निरवाल तहसील रावतसर।
3. गुड्डी उर्फ कलावती पुत्री गोपीराम पत्नी ईश्वर राणा निवासी हाल धीरणवास तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
4. सुमित्रा उर्फ कविता पुत्री गोपीराम पत्नी शंकरलाल चाहर निवासी हाल ढाणी बिश्नोईयान, करणपुरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़- **प्रार्थी**

वकील श्री धर्मपाल बैरवाल - **अप्रार्थी सं0 1 ता 2**

वकील श्री तरूण मिश्रा - **अप्रार्थी सं0 3**

दिनांक : 25-04-25

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता संख्या 119/101 के खसरा सख्या 1279/347 की 5.4130 है0 बारानी तथा रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा संख्या 1274/426 की 2.0360 है0 बारानी तथा रोही मौजा 9 जेएसएल के खसरा संख्या 168 के किला न0 9, 10, 11, 12/2, 20, 21 खसरा सं0 169 के कि0न0 6, 7, 11, 12, 14 ता 25 खसरा सं0 198 के कि0न0 2, 3, 4 की कुल 17 बिस्वा यानि 6.229 है0 बारानी कृषि भूमि जो वादी के दादा गणपतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ करती थी। जो अप्रार्थी के पिता व उसके भाईयों को बहिस्सा बराबर विरासतन प्राप्त हुई है। वर्तमान में यह वादभूमि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 247/140 के खसरा संख्या 1279/347 की 5.4130 है0 बारानी में अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम का 1/6 हिस्सा यानि 0.9021 है0 बारानी तथा रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 151/138 के खसरा संख्या 1274/426 की 2.0360 है0 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा चक 9 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 62/54 के मु0न0 168 के कि0न0 9, 10/1, 11, 12/2, 20, 21 कुल किता 6 की 1.265 है0 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादभूमि पहले वादी के दादा गणपत की खातेदारी हुआ करती थी गणपत के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। इस प्रकार वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक व अधिकार है।

वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से अप्रार्थी संख्या 1 वादभूमि को अप्रार्थी सं0 2 के बहकावे में आकर रहन बैय व मुन्तकिल करने [illegible] है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा के काश्तकार है तथा [illegible] या 1 प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को अपने हक हिस्सा से वंचित करने की कोशिश [illegible] ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को [illegible] क्षति होगी। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वादभूमि को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बना[illegible]वे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 तथा 2 ने जबाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:24:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दरख्वास्त प्रस्तुत किया कि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता संख्या 119/101 चक 9 जेएसएल के मु0 नं0 168, 169, 198 की कृषि भूमि गणपतराम के समय की होने से इन्कारी नही है लेकिन खसरा संख्या 1274/426 की 2.0360 है0 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम की जरिये बैयनामा दिनांक 24.12.1963 को राधाकृष्ण राजपूत से खरीदशुदा है उक्त वादभूमि गोपीराम की पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति है। वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम को विरासतन प्राप्त नहीं हुई है तथा शेष वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वयं की नोतौड़ की हुई है। वादभूमि अप्रार्थी सं0 1 की सैल्फ अकवॉयर्ड प्रोपर्टी में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थी संख्या 1 स्वस्थ चित है एवं ना ही बुरे लोगों की संगत में है व न ही वादभूमि को खुर्दबुर्द करने की ठान रहा है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि गोपीराम के ही नाम राजस्व रिकार्ड में है व उसके ही कब्जा कास्त में चली आ रही है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वादभूमि प्रार्थी की दादालाई पैतृक भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा संयुक्त हिन्दू मिताक्षरा सहदायिकी परिवार का गठन करते है। वादी एवं प्रतिवादगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई कृषि भूमि है जो वादी के दादा गणपतराम के देहान्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम को विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा के कास्तकार है। वकील अप्रार्थी ने स्वयं जबाब दरखास्त में स्वीकार किया है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता संख्या 119/101 चक 9 जेएसएल के मु0नं0 168, 169, 198 की कृषि भूमि गणपतराम के समय की होने से स्वीकार किया है तथा रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 151/138 के खसरा संख्या 1274/426 की 2.0360 है0 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम की जरिये बैयनामा दिनांक 24.12.1963 को राधाकृष्ण राजपूत से खरीद कर स्वअर्जित होने का कथन किया है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि जब 1963 में राधाकृष्ण से उक्त भूमि खरीद की गई उस समय अप्रार्थी नाबालिग था उसकी स्वतंत्र आय नही थी। इस प्रकार उक्त खरीद शुदा भूमि भी संयुक्त हिन्दू परिवार की आय आमदनी से अर्जित की हुई है। अतः वादभूमि मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 151/138 के खसरा संख्या 1274/426 की 2.0360 है0 बारानी वादभूमि भी संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी सं0 1 वृद्ध हो गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 सुरेन्द्र सिंह के प्रभाव में है तथा बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के हस्तान्तरण करवाने की धमकी दे रहे है तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वादभूमि गोपीराम की पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति है। वादभूमि अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम को विरासतन प्राप्त नहीं हुई है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि गोपीराम के ही नाम राजस्व रिकार्ड में है व उसके ही कब्जा कास्त में चली आ रही अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है, चूंकि उपयुक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सं0 1 गोपीराम को वादभूमि विरासतन प्राप्त होने के कारण उक्त सम्पति में अप्रार्थी सं0 1 के साथ साथ प्रार्थी का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। यह कि वादभूमि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 247/140 के खसरा संख्या 1279/347 की 5.4130 है0 बारानी में अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम का 1/6 हिस्सा यानि 0.9021 है0 बारानी तथा रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 151/138 के खसरा संख्या 1274/426 की 2.0360 है0 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा चक 9 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 62/54 के मु0न0 168 के कि0न0 9,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:24:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

10/1, 11, 12/2, 20, 21 कुल किता 6 की 1.265 है0 बारानी वादभूमि में प्रार्थी ने अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र सायल के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा गैरसायल इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थीगण ने यह प्रस्तुत नहीं किया कि उक्त आराजी पैतृक नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 वादभूमि को रहन बैय व मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी/वादी का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वादभूमि रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 247/140 के खसरा संख्या 1279/347 की 5.4130 है0 बारानी में अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम का 1/6 हिस्सा यानि 0.9021 है0 बारानी व रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 151/138 के खसरा संख्या 1274/426 की 2.0360 है0 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तथा चक 9 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 62/54 के मु0न0 168 के कि0न0 9, 10/1, 11, 12/2, 20, 21 कुल किता 6 की 1.265 है0 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 गोपीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त संम्पूर्ण वादभूमि को ताफैसला रहन, बैय व दीगर तरीके से मुन्तकिल नही करे और मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:24:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner